रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-127 REGISTERED NO. D. (D.L.)-12

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

13.10.87

सं. 402] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 1987/श्रावण 15, 1909
No. 402] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 1987/SRAVANA 15, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1987

अधिसूचना

का. आ. 763 (अ).—चूंकि डॉक वर्कर्स (रोजगार का विनियम) नियम, 1962 के नियम 4 के उप-नियम (5) के अनुसरण में कांडला स्टेविडोर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि श्री एन. सी. मेहता के बारे में, जिन्हें भारत सरकार के तत्कालीन नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की दिनांक 18 जुलाई, 1985 की अधिसूचना सं.

का. आ. 535 (अ) के माध्यम से कांडला डॉक लेबर बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया था, यह मान लिया गया है कि उन्होंने कार्यालय छोड़ दिया है तथा अधिसूचना सं. का. आ. 767 दिनांक 14-3-1987 के माध्यम से रिक्ति के बारे में अधिसूचित किया गया था।

और चूंकि 8 जून, 1987 को आयोजित जनरल बॉडी की आम बैठक में कांडला स्टेविडोर्स एसोसिएशन ने फिर से श्री एन. सी. मेहता को नामित किया;

अतः अब केन्द्रीय सरकार डॉक वर्कर्स (रोजगार का विनियम) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5 ए की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री एन. सी. मेहता को कांडला डॉक लेबर बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और उक्त अधिसूचना सं. का आ. 535(अ) दिनांक 18 जुलाई, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "डॉक वर्कस और नौवहन कम्पनियों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य" शीर्षक के अन्तर्गत मद सं. 1 के सामने श्री एन. सी. मेहता शब्दों को जोड़ा जाए।

[फा. सं. एल. डी. के. 6/85—यू. एस. (एल)]
योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

नोट :—प्रमुख अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 1985 को अधिसूचना सं. का. आ. 535 (अ) के माध्यम से प्रकाशित हुई थी। यह नीचे उल्लिखित अधिसूचना के माध्यम से संशोधित हुई :—

का. आ. सं. 678 (अ) दिनांक 18-9-1986

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 6th August, 1987

NOTIFICATION

763(E).—Whereas in pursuance of sub-rule (5) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, Shri N. C. Mehta, representative of Kandla Stevedores Association, who was appointed as a Member of the Kandla Dock Labour Board vide notification of the Government of India in the

erstwhile Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 535(E), dated the 18th July, 1985, was deemed to have vacated his office and a vacancy was notified vide notification No. S.O. 767, dated the 14th March, 1987;

And whereas the Kandla Stevedores Association in their Special General Body Meeting held on the 8th June, 1987 have again nominated Shri N. C. Mehta;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri N. C. Mehta as member of the Kandla Dock Labour Board and makes the following amendment in the said notification No. S.O. 535 (E), dated the 18th July, 1985, namely :—

In the said notification, under the heading "Members representing the Employers of Dock Workers and Shipping Companies" against item 1, the words and letters "Shri N. C. Mehta" shall be inserted.

[F. No. LDK|6|85-US(L)]

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

NOTE : The principal notification was published vide No. S.O. 535(E), dated the 18th July, 1985. This was subsequently amended vide notification mentioned below :—

S.O. No. 678(E) dated 18-9-1986.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987